

# न्यायालय उपखण्ड अधिकारी सिवाना जिला बालोतरा

पीठासीन अधिकारी:—सुरेन्द्र सिंह खंगारोत आर.ए.एस

राजस्व आवेदन संख्या :- 04/2024

प्रार्थी:—

मालसिंह उर्फ माला पुत्र बुधसिंह उर्फ बुधा जाति राजपुरोहित निवासी  
इन्द्राणा तहसील सिवाना जिला बालोतरा

बनाम

विप्रार्थीगण:—

1. राजस्थान सरकार जरिये भूमिधारक तहसीलदार सिवाना जिला बालोतरा
2. शाखा प्रबंधक एस.बी.आई बैंक शाखा इन्द्राणा तहसील सिवाना

राजस्व आवेदन अन्तर्गत धारा 136 राजस्थान भू राजस्व अधिनियम 1956

उपस्थित:—

श्री महेन्द्रसिंह सोढा प्रार्थी वकील

—:: आदेश ::—

दिनांक:—12.06.2025

प्रार्थी ने यह प्रार्थना पत्र राजस्थान भू राजस्व अधिनियम की धारा 136 के तहत पेश किया है। संक्षेप में आवेदन के तथ्य इस प्रकार है कि प्रार्थी की सहखातेदारी की भूमि खसरा संख्या 355, 356, 321, 322, 323, 324 व 325 कुल रकबा 11.6911 हैक्टेयर ग्राम नाल तहसील सिवाना में अवस्थित है, जिस पर प्रार्थी काबिज होकर काशत करता आ रहा हैं। प्रार्थी के अन्य समस्त दस्तावेजात—यथा राशन कार्ड, आधार कार्ड, मतदाता पहचान पत्र आदि में उसका वास्तविक नाम "मालसिंह पुत्र बुधसिंह" ही दर्ज है, किन्तु विवादित भूमि के राजस्व रेकर्ड में त्रुटिवश प्रार्थी का नाम मालसिंह पुत्र बुधसिंह के स्थान पर 'माला पुत्र बुधा' लिख दिया। इस प्रकार अशुद्ध नाम अंकित होने से प्रार्थी अपनी भूमि के विकास हेतु सरकारी सुविधाओं का लाभ नहीं ले पा रहा है। अतः प्रार्थी राजस्व रिकार्ड में अपना नाम दुरुस्त करवाने हेतु यह प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया है।

प्रार्थना पत्र दर्ज रजिस्टर कर जरिये नोटिस विप्रार्थीगण की तलबी की गई। विप्रार्थी संख्या 2 बावजूद नोटिस तामील के अनुपस्थित रहने से उनके खिलाफ एकपक्षीय कार्यवाही अमल में लाई गयी। तहसीलदार सिवाना के पत्र क्रमांक—भू.अ. /2024/1239 दिनांक 05.08.2024 द्वारा प्रार्थी के वास्तविक नाम के संबंध में तथ्यात्मक रिपोर्ट प्रेषित की। प्रार्थी ने दस्तावेजी साक्ष्य में अपने आधार कार्ड, राशन कार्ड, बैंक डायरी, जनाधार कार्ड, मतदाता परिचय पत्र आदि प्रस्तुत किये। आदि दस्तावेजों के समर्थन में सहखातेदार चेनाराम पुत्र खेताराम के बयान कलमबद्ध करवाये गये।

प्रार्थी वकील की बहस सुनी गई।

उपखण्ड अधिकारी  
सिवाना (बालोतरा)

प्रार्थी अधिवक्ता की बहस है कि प्रार्थी के समस्त राजकीय दस्तावेज यथा आधार कार्ड, राशन कार्ड, बैंक डायरी, जनाधार कार्ड, मतदाता परिचय में प्रार्थी का वास्तविक

नाम "मालसिंह पुत्र बुधसिंह" दर्ज है, किन्तु राजस्व कर्मचारियों द्वारा विवादित भूमि ग्राम नाल तहसील सिवाना के खसरा संख्या 355, 356, 321, 322, 323, 324 व 325 कुल रकबा 11.6911 हैक्टेयर में प्रार्थी का नाम "माला पुत्र बुधा" लिख दिया जाने से राजस्व रिकार्ड में भी इसी अनुसार अशुद्ध प्रविष्टि अंकित हो गयी। इस प्रकार दस्तावेजात एवं राजस्व रिकार्ड में विभिन्नता होने से प्रार्थी अपनी भूमि के स्वतंत्र विकास हेतु सरकारी संस्थाओं से ऋण अनुदान आदि सुविधाएं प्राप्त नहीं कर पा रहा है। अतः प्रार्थी राजस्व रिकार्ड में अपना शुद्ध व सही नाम दर्ज करवाने का अधिकारी है।

हमने प्रार्थी के अधिवक्ता की बहस पर मनन तथा पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजी साक्ष्य एवं तहसीलदार सिवाना द्वारा प्रेषित रिपोर्ट का अवलोकन किया। प्रार्थी के आधार कार्ड, राशन कार्ड, बैंक डायरी, जनाधार कार्ड, मतदाता परिचय पत्र, आदि दस्तावेजात में उनका नाम मालसिंह पुत्र बुधसिंह दर्ज है, किन्तु विवादित भूमि में प्रार्थी का नाम माला पुत्र बुधा दर्ज करने से राजस्व रिकार्ड में अशुद्ध प्रविष्टि अंकित हो गयी। तहसीलदार सिवाना द्वारा प्रेषित रिपोर्ट से भी प्रार्थी का वास्तविक नाम मालसिंह पुत्र बुधसिंह होने की पुष्टि होती है। ऐसी सूरत में उनका नाम राजस्व रिकार्ड में दुरुस्त किये जाने में कोई आपत्ति प्रतीत नहीं होती है।

लिहाजा प्रार्थी का प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाकर ग्राम नाल तहसील सिवाना की खसरा संख्या 355, 356, 321, 322, 323, 324 व 325 कुल रकबा 11.6911 हैक्टेयर भूमि के राजस्व रिकार्ड में प्रार्थी का नाम 'माला पुत्र बुधा' के स्थान पर 'मालसिंह पुत्र बुधसिंह' दुरुस्त करने के आदेश दिये जाते हैं। प्रार्थी द्वारा रहन मुक्त का प्रमाण पत्र अथवा संबंधित बैंक का अनापत्ति प्रमाण पत्र प्रस्तुत किये जाने पश्चात् ही तहसीलदार सिवाना को तदनुसार दुरुस्ती सुनिश्चित किये जाने हेतु आदेशित किया जाता है।

आदेश आज दिनांक 12.06.2025 को सरे इजलास सुनाया गया ।



(सुरेन्द्र सिंह खंगारोत)  
उपखण्ड अधिकारी  
सिवाना (बिहार)